पटना में दिनांक–06 सितम्बर, 2016 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

पथ निर्माण विभाग

1.	ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम में दैनिक वेतन पर कार्यरत डिग्रीधारी कनीय अभियंताओं की तदर्थ रूप से सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर की गई नियुक्ति के बाद बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा के आलोक में नियमित रूप से नियुक्त/समायोजन के आधार पर नियमित रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं का तदर्थ रूप से की गई सेवा की गणना पेंशन एवं उपार्जित अवकाश हेतु करने के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

2.	राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 के रजौली–बख्तियारपुर पथांश (कि॰मी॰ 47.723 से कि॰मी॰ 154.500 तक कुल लम्बाई 107.092 कि॰मी॰) के 4 लेनिंग कार्य संबंधित Concession Agreement (CA) को Clause 24.2 में वर्णित प्रावधान के तहत deemed terminate करने एवं उक्त पथांश को सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को वापस करने के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

3.	भवन निर्माण विभाग के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु गठित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की कार्य. अवधि सहित अधीनस्थ पदों का अगले एक वर्ष (अर्थात् 01 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2017) तक अवधि विस्तार के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

4.	भवन निर्माण विभाग में समायोजित अभियंत्रण कोषांग, शिक्षा विभाग के 06 (छः) तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) की समायोजन के आधार पर नियमित नियुक्ति तथा पूर्व की तदर्थ सेवा अवधि की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

5.	'विकसित बिहार के लिए सात निश्चय' के अंतर्गत फ्लोराईड, आर्सेनिक एवं आयरन से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने तथा समुदाय आधारित जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी में सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए "बिहार ग्राम स्वच्छ पेयजल निश्चय अभियान" के कार्यान्वयन की स्वीकृति।	5.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

6.	बिहार सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर केन्द्र सरकार के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान दिनांक– 01.07. 2016 से 30 सितम्बर, 2016 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 8.1% (आठ दशमलव एक प्रतिशत) किये जाने तथा भविष्य में अंशदान एवं ब्याज की दरों में परिवर्त्तन हेतु वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री को प्राधिकृत किये जाने के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

7.	बिहार वित्त नियमावली में संशोधन के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

8.	"स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली समूह 'घ' संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्त), नियमावली, 2016" के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

9.	श्री हृदय नारायण पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर वर्त्तमान में निलंबित की अनिवार्य सेवानिवृत्ति करने के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

उद्योग विभाग

10.	राज्य में स्टार्ट–अप्स को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2016 के प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में।	10.	स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

11.	बिहार वित्त सेवा में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए बिहार वित्त सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) अधिनियम, 1990 को निरसित करने के संबंध में।	11.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

13.	पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाली राशि में से 30 प्रतिशत राशि "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" एवं 20 प्रतिशत राशि "मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना" पर व्यय करने के साथ अवशेष 50 प्रतिशत राशि का व्यय नगर निकायों की आवश्यकतानुसार उनके कर्मियों के मासिक वेतन भुगतान, सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभों के भुगतान, ठोस कचरा प्रबंधन एवं विद्युत विपत्रों के भुगतान पर करने की स्वीकृति के संबंध में।	13.	स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

14.	राज्य में भूमि के वर्गीकरण में समरूपता लाने के संबंध में।	14.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

15.	डा० विनोद तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल उदाकिशुनगंज, मधेपुरा सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–04.07.2011 को समादेश याचिका संख्या–7789 /2005 में पारित आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 02(9) दिनांक–11.01.2005 को निरस्त करते हुए सेवा में पुनर्स्थापित किये जाने का प्रस्ताव।	15.	स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग
(निदेशालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना)

16.	श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन निदेशालय चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत चिकित्सालयों/अस्पतालों में प्रयोगशाला शिल्पिक के पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्तों के निर्धारण हेतु बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला शिल्पिक सेवा सम्वर्ग नियमावली, 2016 की स्वीकृति के संबंध में।	16.	स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग
(निदेशालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना)

17.	श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन निदेशालय चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत चिकित्सालयों/अस्पतालों में परिधापक के पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्तों के निर्धारण हेतु बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिधापक सेवा सम्वर्ग नियमावली 2016 की स्वीकृति के संबंध में।	17.	स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग
(निदेशालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना)

18.	श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन निदेशालय चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत चिकित्सालयों/अस्पतालों में परिचारिका (नर्स) श्रेणी 'ए' के पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्तों के निर्धारण हेतु बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिचारिका (नर्स) श्रेणी 'ए' सेवा सम्वर्ग नियमावली 2016 की स्वीकृति के संबंध में।	18.	स्वीकृत।

<u>श्रम संसाधन विभाग</u>

19. श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार औद्यौगिक प्रशिक्षण सेवा, बिहार नियोजन सेवा एवं कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को विभिन्न कोटियों में प्रोन्नति देने का प्रस्ताव। — 19. स्वीकृत।

<u>श्रम संसाधन विभाग</u>
(निदेशालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना)

20. श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन निदेशालय चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत चिकित्सालयों/अस्पतालों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) के पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्तों के निर्धारण हेतु बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) सेवा सम्वर्ग नियमावली, 2016 की स्वीकृति के संबंध में। — 20. स्वीकृत।

<u>सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग</u>

21. बिहार विज्ञापन नीति, 2016 की स्वीकृति के संबंध में। — 21. स्वीकृत।

<u>श्रम संसाधन विभाग</u>
(निदेशालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना)

22. श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन निदेशालय चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत चिकित्सालयों/अस्पतालों में फर्मासिस्ट के पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया, प्रोन्नति एवं सेवाशर्तों के निर्धारण हेतु बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना भेषजज्ञ (फर्मासिस्ट) सेवा सम्वर्ग नियमावली, 2016 की स्वीकृति के संबंध में। — 22. स्वीकृत।

<u>जल संसाधन विभाग</u>

23. पटना मुख्य नहर के बलिदाद लॉक 36 मील (57.6 कि०मी०) से भुसौला पुल 76.31 मील (122.10 कि०मी०) कुल लंबाई 64.50 कि०मी० तक नहर सेवा पथ का पक्कीकरण कार्य हेतु रूपये 16776.85 लाख (एक सौ सड़सठ करोड़ छिहत्तर लाख पचासी हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति। — 23. स्वीकृत।

<u>वित्त विभाग</u>

24. बिहार दंत चिकित्सा सेवा के चिकित्सा संवर्ग (शिक्षक एवं पदाधिकारी) के सदस्यों एवं बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा सेवा के चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष किये जाने के संबंध में। — 24. स्वीकृत।

<u>उद्योग विभाग</u>

25. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 को तत्कालिक प्रभाव से प्रवृत करने हेतु अधिसूचित करने की स्वीकृति के संबंध में। — 25. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

26.	सारण जिलान्तर्गत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, तरैया–01 एवं तरैया–02 को एकीकृत कर एक पद तरैया प्रखंड के लिए और एक पद को सम्परिवर्तित कर दरभंगा जिला के नवसृजित प्रखंड अलीनगर के लिए वेतनमान PB-2+4200/- में एक पद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में।	26.	स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

28.	बाढ़ के मद्देनजर गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02–बाढ़–चक्रवात आदि, लघुशीर्ष–101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष–0003–संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से ₹ 10.00 करोड़ (दस करोड़ रूपये) अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।	28.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

29.	बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 के अनुमोदन के संबंध में।	29.	स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

30.	विकसित बिहार के सात निश्चय अंतर्गत "हर घर नल का जल" निश्चय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पूर्व से आंशिक रूप से आच्छादित ग्राम पंचायतों के सभी परिवारों को नल का जल देने हेतु समुदाय संचालित "मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना" के कार्यान्वयन हेतु रू० 54361.68 लाख (पाँच सौ तैंतालिस करोड़ एकसठ लाख अड़सठ हजार रूपये) की योजना की स्वीकृति।	30.	स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

31.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के शोध संवर्ग के कर्मियों के सुव्यवस्थित प्रबंधन, नियुक्ति, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त्तों के विनियमन हेतु "लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए शोध संवर्ग नियमावली, 2016" की स्वीकृति के संबंध में।	31.	स्वीकृत।